राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 631/2015

अशोक कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. आयुक्त, पंचायत राज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला परिषद, भरतपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भरतपुर।
3. पंचायत समिति, वैर, जिला भरतपुर जरिये विकास अधिकारी, वैर, जिला भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.06.2015
आदेश की दिनांक : 26.09.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल एवं श्री रामेश्वर गुर्जर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री जगन्नाथ खण्डप्पा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक 22.07.1987 से गणना करते हुए दिनांक 22.07.2014 से दिया जावे और शेष राशि में वार्षिक ब्याज भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर तद्र्थ आधार पर दिनांक 08.01.1987 को हुई थी और दिनांक 22.07.1987 से वह स्थाई घोषित किया गया तथा द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ उसे प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही दिया गया और इस प्रकार अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 22.07.2014 से प्राप्त करने का हकदार है, परंतु विभाग द्वारा उसे उक्त लाभ नहीं दिया गया। उनका कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भैरूराम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में 2012 वोल्यूम III सीडीआर पी 1561 में एवं

अधिकरण द्वारा अपील संख्या 76/2013 इंद्र सिंह राठौड बनाम निदेशक में पारित आदेशों में इस प्रकार के चयनित वेतनमानों का लाभ रोका जाना अनुचित माना है। अपीलार्थी भी उक्त सिद्धांतों के आधार पर तृतीय चयनित वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है। परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस जारी कर विभाग को भिजवाया और अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रथम नियुक्ति दिनांक 22.07.1987 से गणना करते हुए दिनांक 22.07.2014 से दिया जावे और शेष राशि में वार्षिक ब्याज भुगतान किए जाने के आदेश फरमाए जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित अपील संख्या 3620/2009, 2848/2006 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम जगदीश नारायण चतुर्वेदी में पारित विनिश्चय के अनुसार नियमित नियुक्ति से ही चयनित वेतनमान सहित सेवा संबंधित समस्त लाभ प्राप्त करने का विधिक अधिकारी होता है। अपीलार्थी आदेश दिनांक 17.03.1989 के अनुसार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से स्थानान्तरित होकर आए कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के बाद आदेश की तिथि से ही नियमित नियुक्ति मानी जावेगी। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर तद्र्थ आधार पर दिनांक 08.01.1987 को हुई थी और दिनांक 22.07.1987 से वह स्थाई घोषित किया गया तथा द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ उसे प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही दिया गया और इस प्रकार अपीलार्थी तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 22.07.2014 से प्राप्त करने का हकदार है, परंतु विभाग द्वारा उसे उक्त लाभ नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को दिनांक 22.07.2014 से तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27 वर्षीय सेवा पूर्ण होने पर नहीं दिए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 27.01.1990 एवं आदेश दिनांक 13.04.2009 के अवलोकन से यह स्पष्ट है और उक्त आदेशों अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 01.07.1987

दर्शायी गई है, जिसके आधार पर अपीलार्थी को प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमानों का लाभ प्रदान किया गया है और हमारे मत में अपीलार्थी प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही नियमानुसार तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ 27 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करते हुए नियमानुसार तृतीय चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य